न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. साधना शर्मा (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 39/2025 दायर तारीख– 03.11.2025

उनवान

मैसर्स श्रीश्याम माइनस (ओल्ड नेम उषा शर्मा) वार्ड नंबर 08 शाहपुरा रोड नीमकाथाना जिला सीकर जरिये भागीदार कार्तिक यादव पुत्र संजीव कुमार यादव जाति अहीर निवासी सिकन्दरपुर बडा तहसील व जिला गुरुग्राम, हरियाणा

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय **दिनांक : 06.04.2026**

1. प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार शर्मा के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट निम्नानुसार है कि ग्राम ढाढा तहसील कोटपुतली हाल तहसील पावटा के खसरा नम्बर 677/16.00 हैक्टेयर वाके मोजा ढाढा तहसील कोटपूतली हाल तहसील पावटा किस्म गैर मुमकिन बीहड में 1.00 हैक्टेयर की चेजा पत्थर लीज खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा उषा शर्मा पत्नी श्री भवानीशंकर शर्मा निवासी नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना को आवंटन की गयी थी जिसका लीज नम्बर 79/2011 है।

2 उक्त लीज का आवंटन खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात तत्कालीन पटवारी हल्का व गिरदावर व तहसीलदार महोदय की उपस्थिति में सहायक अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा मुताबिक लीज मौके पर किया जाकर कब्जा मौके पर उषा शर्मा पत्नी श्री भवानीशंकर शर्मा को करवा दिया था तथा मुताबिक लीज नम्बर 79/2011 हाल नक्शे में तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार लीज का अंकन पटवारी हल्का द्वारा किया गया तभी से ही मौके पर उषा शर्मा पत्नी श्री भवानीशंकर शर्मा नियमानुसार खनन कार्य करते चले आ रहे थे उनके द्वारा उपरोक्त लीज नम्बर 79/2011 को प्रार्थी श्री श्याम माईन्स कृष्णा कुंज नीमकाथाना को हस्तान्तरित किय`जाने के उपरान्त प्रार्थी उपरोक्त लीज को मौके पर लागत लगाकर नियमानुसार उपरोक्त लीज को संचालित करते चले आ रहे है।

3 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली क द्वारा पारित आदेश से आराजी हाल खसरा नम्बर 677/16.00 वाको मोजा ढाढा की शेष भूमि को गैर मुमकिन आबादी दर्ज कर दी गयी एवं शेष भूमि का नया बटा नम्बर 677/2144 रकबा 13.66 हेक्टेयर आबादी ग्राम ढाढा के नाम हाल राजस्व रिकार्ड मैं अंकन कर दी गयी ग्राम ढाढा तहसील कोटपुतली हाल तहसील पावटा से नया ग्राम चाचा नेहरुनगर तहसील पावटा व ग्राम शहीदविक्रमसिंह नगर तहसील पावटा बनाये जाते समय प्रार्थी की लीज नम्बर 79/2011 जोकि पीके पर नक्शेनुसार ग्राम शहीदविक्रमसिंह नगर में स्थित हैं को हाल नक्शे मैं गलत अंकन करते हुये खसरा नम्बर 677 ग्राम चाचा नेहरुनगर तहसील पावटा में अंकन कर दिया तथा शेष बची आबादी भूमि खसरा नम्बर 677/2144 को ग्राम चाचानेहरूनगर तहसील पावटा के स्थान पर ग्राम शहीदविक्रमसिंह नगर मैं अंकित कर दिया।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

4 उपरोक्त तथ्य जानकारी प्रार्थी को गत माह पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर प्रार्थी के द्वारा मौके पर नियमानुसार की जा रही खनन कार्य को वर्तमान नक्शे के विपरीत जाहिर करते हुये खनन कार्य रोके जाने हेतु कहने पर हुयी जिस पर प्रार्थी ने बिना देरी किये समस्त दस्तावेज की नकल प्राप्त कर राजस्व विभाग द्वारा नक्शा मैं तरमीम किये जाते समय की गयी त्रुटि की जानकारी हुयी जिस पर प्रार्थी ने अनेकों बार राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को ग्राम ढाढा तहसील कोटपूतली हाल ग्राम चाचा नेहरुनगर तहसील पावटा के नक्शे मैं दुरुस्ती किये जाने हेतु कहा परन्तु उन्होंने नक्शे में दुरुस्ती किये जाने से साफ इंकार कर दिया इसलिये प्रार्थी को उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

5. आराजी मुतदाविया न्यायालय श्रीमान के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिये उपरोक्त प्रार्थना पत्र सुनने व तय करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को हांसिल है। प्रार्थना पत्र नियत कोर्ट फीस पर प्रस्तूत है। प्रार्थना पत्र के अन्य तथ्य वरवक्त बहस अर्ज किये जायेंगे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल नक्शे में दुरुस्ती की जाकर साबिक रिकार्डनुसार आराजी हाल खसरा नम्बर 677/16.00 वाके मोजा सुदरपुरा ढाढा हाल ग्राम शहीदविक्रमसिंह नगर तहसील पावटा में लीज संख्या एमएल 79/2011 में जारी नक्शेनुसार पटवारी हल्का द्वारा किये गये साबिक नक्शे मैं अंकन के अनुसार हाल नक्शे में उपरोक्त लीज नम्बर एमएल 79/2011 खसरा नम्बर 677/1.00 वाके मोजा ढाढा तहसील कोटपुतली हाल ग्राम शहीदविक्रमसिंह नगर तहसील पावटा का अंकन किया जाकर हाल नक्शे में दुरुस्ती किये जाने के आदेश सादिर फरमाये ।

6 प्रार्थना पत्र पेश होने पर काबिले समात पाया जाकर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त प्रकरण में बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार है कि **लीज संख्या 79/2011 का पटवारी हल्का के राजस्व नक्शे (कपड़े के नक्शे में) में अंकन है। ग्राम सुदरपुरा के खसरा नम्बर 677 मूल का रकबा 16.00 हैक्ट0 दर्ज था। इसके पश्चात नामान्तकरण संख्या 1994 दिनांक 15.03.1994 से आदेश क्रमांक राज/92/79 दिनांक 18.02.1992 से नवीन बटटा नम्बर 677/2144 रकबा 13.66 गै.मु.आबादी सुदरपुरा दर्ज हुआ था। उक्त नामान्तरण तस्दीक होने के पश्चात उक्त खसरा नम्बर 677/2144 की तरमीत ततसमय नही की गई। सैग्रीगेशन कार्यवाही के दौरान प्रत्येक खसरा नम्बर की वन टू वन मैपिंग के दौरान बटटा नम्बर 677/2144 की तरमीम की गई है। यह तरमीम किस आधार पर की गई है यह स्पष्ट नही है। वन टू वन मैपिंग के दौरान आराजी खसरा नम्बर 677/2144 की तरमीम किस आधार पर की गई है यह तथ्य स्पष्ट नही है। यहां यह तथ्य भी अवलोकनीय है कि आराजी खसरा नम्बर 677/2144 का राजस्व नक्शा शहीद विक्रम सिंह नगर में है एवं जमाबन्दी में यह खसरा चाचा नेहरू नगर में अंकित है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी सही है तथा शेष जिम्मन 05, 06, 07 कानूनी है।** परोकार राज सरकार तहसीलदार पावटा से जवाब प्राप्त होने पर तहसीलदार पावटा को मौके की स्थिति व तरमीम किस आधार पर की गई के संबंध में तथ्यात्मक जवाब/रिपोर्ट हेतू स्मरण पत्र जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-~~बहरोड़~~)

7. तहसीलदार पावटा से तथ्यात्मक वस्तुस्थिति रिपोर्ट मय जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया, जो निम्नानुसार है कि **लीज संख्या 79/2011 वर्तमान मौका स्थिति अनुसार आराजी खसरा नम्बर 677/2144 किस्म गै.मु.आबादी ग्राम सुदरपुरा में स्थित है। ग्राम सुदरपुरा के लटठा ट्रेस (कपडे का नक्शा) में लीज संख्या 79/2011 की तरमीम अंकित है ततसमय उक्त नक्शे में खसरा नम्बर 677/2144 की तरमीम अंकित नही थी। मूल खसरा नम्बर 677 में ही लीज संख्या 79/2011 की तरमीम अंकित है। दौराने सेग्रीगेशन प्रोसेस खसरा नम्बर 677/2144 की तरमीम की गई है उक्त तरमीम किस आधार पर की गई है यह स्पष्ट नहीं है। वर्तमान मौका स्थिति अनुसार नही की गई है।**

8. परोकार राज. सरकार से जवाब मय तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील प्रार्थी/वादी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि हाल नक्शे में दुरुस्ती की जाकर साबिक रिकार्डनुसार आराजी हाल खसरा नम्बर 677/16.00 वाके मोजा सुदरपुरा ढाढा हाल ग्राम शाहीदविक्रमसिंह नगर तहसील पावटा में लीज संख्या एमएल 79/2011 में जारी नक्शेनुसार पटवारी हल्का द्वारा किये गये साबिक् नक्शे मैं अंकन के अनुसार हाल नक्शे में उपरोक्त लीज नम्बर एलएल 79/2011 खसरा नम्बर 677/1.00 वाके मोजा ढाढा तहसील कोटपुतली हाल ग्राम शहीदविक्रमसिंह नगर तहसील पावटा का अंकन किया जाकर हाल नक्शे में दुरुस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करने कृपा करे।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार पावटा से प्राप्त जबाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि की गई तरमीम का कोई वैधानिक आधार नही पाया गया। इसप्रकार स्थित ग्राम सुदरपुरा ढाढा हाल ग्राम शहीदविक्रमसिंह नगर तहसील पावटा में लीज संख्या एमएल 79/2011 में जारी नक्शेनुसार पटवारी हल्का द्वारा किये गये साबिक नक्शे मैं अंकन के अनुसार हाल नक्शे में उपरोक्त लीज नम्बर एमएल 79/2011 खसरा नम्बर 677/1.00 वाके मोजा ढाढा तहसील कोटपुतली हाल ग्राम शहीदविक्रमसिंह नगर तहसील पावटा का अंकन किया जाकर हाल नक्शे में दुरुस्ती किये जाना न्यायोचित व न्यायसंगत समझते है।

निर्णय

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पावटा को आदेशित किया जाता है कि लीज नम्बर एमएल 79/2011 खसरा नम्बर 677/1.00 वाके मोजा ढाढा तहसील कोटपुतली हाल ग्राम शहीदविक्रमसिंह नगर तहसील पावटा की पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि प्रकरण की विधिक जांच कर राजस्व रिकार्ड एवं मौका निरीक्षण कर पुनः तरमीम की जावे। तदानुसार पालनार्थ तहसीलदार पावटा को तहरीर जारी हों। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर रहे ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै ईजलास सुनायाा गया ।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा, कोटपूतली–बहरोड